<u>दिनांक : 04.02.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामिका सहायक अभियोजन अधिकारी श्री भारत भूषण पुरोहित न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण गौरव फरर्स्वाण एवं हरेन्द्र सिंह खत्री की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरर्स्वाण न्यायालय में उपस्थित है। उनकी ओर से अभियुक्तगण गौरव फरर्स्वाण एवं हरेन्द्र सिंह खत्री का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 44ख, प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिए स्वीकार।

2. पत्रावली आज उपस्थिति अभियुक्त हेतु नियत है। अभियुक्त सुनील फरर्स्वाण अनुपस्थित। अभियुक्त सुनील फरर्स्वाण के विरूद्व पूर्व तिथि पर जारी जमानती वारण्ट मु0 10,000/—रूपये अदम तामील आख्या संहित प्रपत्र संख्या 45ख/1 लगायत 45ख/5, पत्रावली पर वापस प्राप्त है। पत्रावलित हो। अभियुक्त सुनील फरर्स्वाण के विरूद्व पुनः जमानती वारण्ट मु0 10,000/—रूपये जारी किया जाये।

3. पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त हेतु दिनांक 21.02.2023 को पेश हो।

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।